Only S/w Designed & Developed by... NIC

(15

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 13309/57/2024/चयन

इन्दौर, दिनांक 30 DEC 2024

राज्य वन सेवा परीक्षा – 2023

चयन – सूची (मुख्य भाग – 87 प्रतिशत)

पदनाम – सहायक वन संरक्षक

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **33/2023 दिनांक 06.10.2023** एवं समय–समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में **म0प्र0 शासन, वन विभाग** के अंतर्गत विज्ञापित पद – **सहायक वन संरक्षक** के कुल 14 पद (अनारक्षित–04, अ.जा. –02, अ.ज.जा.–02 अ.पि.वर्ग–04, ई.डब्ल्यू.एस.–02) विज्ञापित किए गए है। उक्त पदों की पूर्ति के लिए **राज्य वन सेवा परीक्षा – 2023** अंतर्गत **प्रारंभिक परीक्षा** के उपरांत **राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा – 2023** दिनांक **30.06.2024** को आयोजित की गई। आयोग द्वारा **राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा – 2023** का परीक्षा परिणाम दिनांक **02.09.2024** को घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 21.11.2024 से 20.12.2024 तक** आयोजित किए गए है।

2/ म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुपालन में म0प्र0 शासन, वन विभाग से प्राप्त रिक्ति विवरण अनुसार आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 02/33/2023 दिनांक 15.01.2024 के बिन्दु क्रमांक 02 में वर्णित तालिका अनुसार उपरोक्त विज्ञापन कमांक 33/2023 दिनांक 06.10.2023 के अंतर्गत विज्ञापित कुल पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत् मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 15.01.2024 में उल्लेखित टीप के परिप्रेक्ष्य में प्रावधिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के सबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात् घोषित किया जाएगा।

3/ राज्य शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.09.2022 के संदर्भ में आयोग द्वारा घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 के पैरा 04 के बिन्दु कमांक 02 में उल्लेखित बिन्दु के परिपालन में साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए अभिवचन पत्र के अनुसार मुख्य भाग–87 प्रतिशत एवं प्रावधिक भाग–13 प्रतिशत में अर्ह अभ्यर्थी अपने–अपने भाग में बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेगें।

4/ अतएव, मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के गुणानुकम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :–

1 सहायक वन संरक्षक

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग – 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	4	2	2	2	2	12

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	102238	SHASHANK JAIN	M	UNR	UNR
2	102736	AKHILESH PRATAP SINGH	M	UNR	UNR
3	101883	JYOTI THAKUR	F	UNR	OBC
4	100944	SHIVAM GAUTAM	M	EWS	EWS
5	102548	NITIN PATEL	M	UNR	OBC
6	101765	RAVI KUMAR	M	SC	SC
7	100861	ANKUR GUPTA	M	EWS	EWS
8	101537	DEEPENDRA LODHI	M	OBC	OBC
9	101707	KAPIL CHOUHAN	M	OBC	OBC
10	102535	ALOK KUMAR JHARIYA	M	SC	SC
11	101590	TARUN CHOUHAN	M	ST	ST
12	100855	RAGHVENDRA THAKUR	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	102679	DIVYA UPADHYAY	F	EWS
2	102772	SAKET KUMAR BAGHEL	M	OBC
3	101547	DASHRATH VISHWAKARMA	M	OBC
4	100739	RAMA KANT GUPTA	M	EWS
5	102179	AMAN YADAV	M	OBC
6	101636	PAWAN SHARMA	M	EWS
7	102517	JEETENDRA KUMAR VERMA	M	SC
8	100649	AAKASH KUMAR MALVIYA	M	SC
9	101423	RAHUL SOLANKI	M	ST
10	100322	RATNARAJ SINGH THAKUR	M	ST

टीप :–

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत् अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत् आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए है जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किए जाने का प्रावधान प्रावधानित है।

2. घोषित चयन परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक एस.एल.पी. 12398/2023 एवं एस.एल.पी. 8764/2023 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अभ्यर्थिता विज्ञापन में वर्णित परिशिष्ट–एक में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। साथ ही घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर अपील याचिका डब्ल्यू.ए. 1232/2024 में आयोग को प्राप्त स्थगन के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

(प्रबल सिपाहा)
सचिव
म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर